न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 06 / 2023 दायरा दिनांक 02.08.2023

GCMS No. 2023/32

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. भारत सिंह पुत्र जयसिंह जाति अहीर निवासी फरेदुआ तलेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. राजेन्द्र पुत्र जयसिंह जाति अहीर निवासी फरेदुआ तलेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
3. राजकुमारी उर्फ राजेशबाई पुत्री जयसिंह जाति अहीर निवासी फरेदुआ तलेटी तहसील शाहबाद। जिला बारां।
4. रेखाबाई पुत्री जयसिंह जाति अहीर निवासी फरेदुआ तलेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
5. आशाबाई पुत्री जयसिंह जाति अहीर निवासी फरेदुआ तलेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
6. सावोबाई पत्नि जयसिंह जाति अहीर निवासी फरेदुआ तलेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।

– अपीलाण्टस्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला–बारां राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री हेमराज नामदेव – अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री पैरोकार सरकार – रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 29.07.2024

<u>अपील विरूद्ध फौती नामान्तरकरण नम्बर 349 ग्राम फरेदुआ तलेटी निर्णय दिनांक 18.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद</u>

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.05.2016 ग्राम फरेदुआ तेलटी को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम फरेदुआ तलेटी तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नम्बर 124/1 रकबा 8.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो अपीलाण्ट्स को अपने पिता/पति जयसिंह पुत्र बंशी कोम अहीर से प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण के जरिये विरासतन प्राप्त होकर वर्तमान जमाबन्दी में अपीलाण्ट्स के नाम खाते दर्ज है।

रेस्पोडेण्ट क्रम 3 का घरेलू बोलता नाम राजेश बाई तथा रिकार्डेट नाम राजकुमारी है। वक्त तस्दीक प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण अपीलाण्ट क्रम 3 का नाम राजेशबाई दर्ज कर दिया गया है, जो खाते में राजेश बाई ही दर्ज हो गया है, जबकि अपीलाण्ट का रिकॅार्डेड एवं सही नाम राजकुमारी है, जो अपीलाण्ट के आधारकार्ड, पेनकार्ड, जनाधारकार्ड व बैक खाता आदि में दर्ज है।

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दिनांक 24.07.2023 को हल्का पटवारी से खाते की नकल प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि का अपीलाण्ट को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ।

अपीलाण्ट क्रम 3 का नाम गलत दर्ज होने से अपीलाण्ट क्रम 3 को के.सी.सी. बनवाने में मुआवजा आदि लेने में भारी कठिनाई होती है और दिक्कतों का सामना करना पडता है। अपीलाण्ट ने दुरूस्ती हेतु रेस्पोडेण्ट क्रम 2 को उक्त नाम की दुरूस्ती बाबत् निवेदन किया, परन्तु उन्होने यह कहते हुये इनकार कर दिया कि अपीलाण्ट क्रम 3 का नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरिये रिकार्ड

में दर्ज हुआ है, जिसे समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत करके ही दुरूस्त कराया जा सकता है। इस कारण अपील प्रस्तुत है।

दिनांक 24.07.2023 को रेस्पोडेण्ट द्वारा नाम दुरूस्ती से इनकार करने पर तथा अपील के बारे में बताये जाने पर अपीलाण्ट को अपील का कारण प्राप्त हुआ है, जो जानकारी दिनांक 24.07.2023 से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पूर्व में डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है।

अपीलान्टस् को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.07.2023 को पटवारी हल्का से के.सी.सी. बनवाने के लिए नकल लेने पर हुई है जानकारी के अभाव में हुई देरी के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अपीलान्ट क्रम 2 व 6 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर तस्दीक की गई कि: ग्राम फरेदुआ तलेटी में खसरा नम्बर 124/1 रकबा 8 बीघा भूमि स्थित है अपीलान्ट क्रम 2 व 6 के पिता व पति का फौती इन्तकाल दर्ज हुआ, इसी इन्तकाल में मेरी बहन राजकुमारी का नाम राजेश बाई दर्ज कर दिया है जबकि रिकार्डेड सही नाम राजकुमारी ही है अतः राजेशबाई के स्थान पर राजकुमारी कराने हेतु यह शपथ पत्र आलेखित है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 3 का नाम राजेशबाई गलत दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट क्रम 3 का सही नाम राजकुमारी है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 3 का नाम राजेशबाई गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्ट क्रम 3 का वास्तविक नाम राजकुमारी है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज में अपीलान्ट क्रम 3 का नाम राजकुमारी दर्ज होना पाया गया। अपीलान्ट क्रम 2 व 6 के प्रस्तुत शपथ पत्र में भी राजेश बाई का वास्तविक नाम राजकुमारी होना स्वीकार किया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम फरेदुआ तलेटी का इंतकाल नं. 349 दिनांक 18.05.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट कम 3 के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 349 दिनांक 18.05.2016 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner